पत्रांकःजी0टी0एस0/2019-20/ 192006/687 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्पोरेट सर्किल/कार्यपालक),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक:: 01 नवम्बर, 2019

विषयः- दिनांक 01.04.2020 से प्रस्तावित न्यू रिटर्न सिस्टम(ANX-1 एवं ANX-2) की ट्रायल बेसिस पर जी०एस०टी० कामन पोर्टल पर अपलोडिग का लक्ष्य निर्धारण।

महोदय,

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में राजस्व की समय से प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि पंजीकृत टैक्सपेयर्स द्वारा समय से रिटर्न फाइलिंग की जाए। जी०एस०टी० काउंसिल की 31वीं बैठक में नया रिटर्न सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में जी०एस०टी०एन० द्वारा नया रिटर्न सिस्टम तथा आनलाइन यूटिलिटी डेवलप कर जी०एस०टी० कामन पोर्टल पर ट्रायल बेसिस पर उपलब्ध करा दिया गया है। जी०एस०टी० काउंसिल की 37वीं बैठक में नया रिटर्न सिस्टम दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तकनीकी आधारित इस रिटर्न सिस्टम के सुचारू क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि इसे विधिक रूप से प्रभावी होने से पूर्व स्टेकहोल्डर्स विशेष रूप से टैक्सपेयर्स द्वारा इसे तैयार करने एवं फाइल करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पर्याप्त अभ्यास कर लिया जाए।

उक्त के दृष्टिगत प्रत्येक जोने में पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या, इनमें से नार्मल टैक्सपेयर्स(कम्पोजिशन डीलर्स से भिन्न) की संख्या मासिक तथा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की संख्या/अनुपात के दृष्टिगत प्रत्येक जोन में ट्रायल बेसिस पर मासिक/त्रैमासिक ANX-1/ ANX-2 दाखिल कराये जाने का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्रमांक	जोन का नाम	लक्ष्य
1	आगरा	10000
2	अलीगढ़	8000
3	अयोध्या	8000
4	बरेली	8000
5	इटावा	8000
6	गैतमबुद्ध नगर	12000
7	गाजियाबाद-I	12000
8	गाजियाबाद-II	12000
9	गोरखपुर	8000
10	झाँसी	8000
1	कानपुर-I	12000

12	कानपुर-II	12000
13	लखनऊ-I	12000
14	लखनऊ-II	12000
15	मेरठ	10000
16	मुरादाबाद	10000
17	प्रयागराज	8000
18	सहारनपुर	10000
19	वाराणसी-I	10000
20	वाराणसी-II	10000
	कुल	**200000**

नोटः- लक्ष्य निर्धारण मासिक एवं त्रैमासिक रिटर्न (ANX-1/ANX-2) को समाहित करते हुए किया गया है किन्तु संभाग स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी खण्ड कार्यालयों का लक्ष्य निर्धारण करते हुए प्रत्येक खण्ड में मासिक एवं त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने योग्य व्यापारियों के अनुपात के दृष्टिगत मासिक एवं त्रैमासिक श्रेणी के रिटर्न पर्याप्त संख्या में अपलोड किये जाए।

2. नया रिटर्न सिस्टम ट्रायल बेसिस पर दाखिल कराया जाना है, अतः करदाताओं को नये रिटर्न सिस्टम से परिचित कराने हेतु प्रत्येक जोन एवं संभाग में कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा तथा आयोजित कार्यशालाओं का समेकित विवरण 5 दिसम्बर तक जी०एस०टी० अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. प्रत्येक माह प्रत्येक जोन से ट्रायल बेसिस पर अपलोड कराये गये रिटर्न प्रारूप ANX-1/ANX-2 की संकलित सूचना 10 तारीख तक जी०एस०टी० अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

4.टैक्सपेयर्स से नये रिटर्न सिस्टम के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त किया जायेगा तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर टैक्सपेयर्स द्वारा संसूचित की गयी तकनीकी समस्याओं को संकलित कर आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा।

5.रिटर्न अपलोडिंग की प्रगति की समीक्षा माह दिसम्बर 2019 एवं आगामी माहों में मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में की जाएगी।

कृपया तदनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स, यथा अधिवक्ता संघों, व्यापारिक एवं औघोगिक संगठनों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।